विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(लेखा अनुभाग-1)

संख्याः 762/वि0स0/2/ले-1/2021 दिनांकः 12 अक्टूबर, 2021

समस्त मा0 सदस्य,
विधान सभा,
उ0प्र0।

विधान सभा की पेपर लेस कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुक्रम में संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशा. प. सं.- 6590-सं-1-21-01सं/21 दिनांक 04 फरवरी, 2021 के माध्यम से जारी निर्देशों के अंतर्गत बजट सत्र (प्रथम सत्र) 2021-2022 हेतु मा0 सदस्यों के उपयोगार्थ आई पैड/टैबलेट के बिल के सापेक्ष कुल धनराशि रु0- 50,000/- मात्र (रुपया पचास हजार मात्र) या देयक की धनराशि जो भी न्यूनतम हो की प्रतिपूर्ति विधान सभा सचिवालय द्वारा की जानी थी।

उक्त आदेश के दृष्टिगत अधिकांश सदस्यों ने उनके द्वारा क्रय किये गये आई पैड/टैबलेट के बिल के सापेक्ष प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ली है। कतिपय अन्य मा0 सदस्यों द्वारा अपने देयक विलम्ब से प्रस्तुत किये गये है।

उक्त के दृष्टिगत मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त आई पैड/टैबलेट के देयकों को प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2021 निर्धारित की है।

अतः जिन मा0 सदस्यों द्वारा क्रय किये गये आई पैड/टैबलेट की प्रतिपूर्ति हेतु देयक प्रस्तुत नहीं किये गये है उनसे अनुरोध है कि क्रय किये गये आई पैड/टैबलेट की क्रय रसीद/बिल की मूल प्रति लेखा अनुभाग-1, विधान सभा में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 से पूर्व अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिससे नियमानुसार आई पैड/टैबलेट की प्रतिपूर्ति का कार्य सम्पन्न किया जा सके।

(अनुज कुमार पाण्डेय)
उप सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी।